(69)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 35/2023
जीसीएमएस नः– 2023/153
दायर दिनांक :– 15.12.2023
निर्णय दिनांक :– 08.04.2025

अनवान

1– श्री दौलतसिंह पिता स्वर्गीय नैनसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
2– श्री नारायण सिंह पिता स्वर्गीय नैनसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
3– श्रीमती लहरी पिता स्वर्गीय नैनसिंह जाति रावतत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
4– श्रीमती सीता पिता स्वर्गीय नैन सिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
5– श्रीमती होनी बाई पत्नि स्वर्गीय नैनसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
6– श्रीमती नोजीबाई पुत्री हिरा जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरावास गढबोर जिला राजसमन्द

अपीलांटगण

बनामे

1– ग्राम पंचायत उमरवास जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उमरवास
2– श्री प्रेमसिंह पिता स्वर्गीय हरिसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
3– श्रीमती कृष्णा पिता स्वर्गीय हरिसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
4– श्रीमती पवन कुंवर पत्नि हरिसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास
5– श्रीमती फतुबाई पत्नि मोतीसिंह जाति रावत निवासी मावा का गुडा, उमरवास तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व निर्णय नामान्तरकरण सख्या 691 दिनांक 10.12.1976 ग्राम पंचायत उमरवास से व्यथित होकर

उपस्थित :–

1– श्री बी0के0 बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री गिरीश पुरोंहीत, अनुपस्थित रेस्पोडेण्ट 02 से 05
3– श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेण्ट 06

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मावा का गुडा, पटवार हल्का उमरवास तहसील गढ़बोर में स्थित आराजी नम्बर 2388/7 रकबा 35.00 बीघा (5.6400 हैक्टेयर) भूमि स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 04 के नाम पर 1/2 हिस्से से दर्ज है। अपीलान्ट्स एवं

रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 04 एक ही परिवार से है जिनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है :

वला पिता पेमा (फौत)

डूंगा	देवा	हिरा
नैना सिंह	मोती सिंह	नोजी बाई
	हरि सिंह	अपीलान्ट सं. 6

	प्रेम सिंह	कृष्ण	पवन कुंवर	फतुबाई
	पुत्र	पुत्र	पत्नि	माता
	रेस्पो. सं. 2	रेस्पो. सं. 3	रेस्पो. सं. 4	रेस्पो. सं. 5

दौलत सिंह	नारायण सिंह	लहरी	सीता	होनी बाई
अपी0सं. 1	अपी0 सं. 2	अपी0 सं. 3	अपीलान्ट सं. 4	अपीलान्ट सं. 5

उक्तरोक्त पैरा एक में वर्णित आराजीयात मूल रूप से 1/2 हिस्से से अपीलान्ट संख्या 01 से लगायत 05 के पडदादा दादा जी अपीलान्ट संख्या 05 के दादीया ससुर व अपीलान्ट संख्या 06 के दादा जी, वाला पिता पेमा के नाम दर्ज थी और वाला पिता पेमा फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज थी और भुमियो का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जिसमें गया पिता पेमा के सभी विधिक वारीसान अर्थात तीनो पुत्रो डूगा, देवा व हिरा का नाम अंकित करते हुऐ उनके नाम दर्ज भुमियो नामान्तरकरण अकेले देवा के नाम अंकित कर दिया गया। जिसकी अपीलान्ट्स व उनके पूर्वाधिकारी को कोई जानकारी नहीं रही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि 1/2 हिस्से से वाला पिता पेमा के नाम पर अंकित थी लेकिन रेकार्ड में पेमा पिता वाला अंकित करते हुऐ उक्त 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी देवा के नाम अंकित कर दी एवं तत्पश्चात् देवा की बजाय मोती सिंह व उनके वारीसान हरि सिंह व उसके बाद रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम पर अंकित कर दी गई। यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलान्ट के पूर्वाधिकारीयो को सुने एवं बिना सभी विधिक वारिसान की जानकारी किये, ही रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकार देवा से मिलीभगत करते हुऐ वाला

पिता पेमा के नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि को अकेले देवा पिता वाला के नाम अंकित कर दिया। जिसकी अपीलान्ट्स या उनके पर्वाधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का उमरवास द्वारा वाला पिता पेमा के सभी विधिका वारीसान के नाम अर्थात डूंगा, देवा व हिरा के नाम भूमिया अंकित नहीं की है। अपीलान्ट्स यही समझते रहे कि भूमिया अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम हिस्सेदार अनुसार ही दर्ज है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा वाला पिता पेमा के समस्त विधिका वारीसान की बिना जॉच किये ही अपने मनमकसूद तरीके से अकेले देवा पिता वाला के नाम पर ही नामान्तरकरण खोल दिया जब कि वाला पिता पेमा के पिछे दो पुत्र डूंगा व हिरा और थे। इस प्रकार वाला पिता पेमा के पिछे डूंगा, देवा व हिरा तीन पुत्र होकर तीनो पुत्र होकर तीनो ही विधिक वारीसान उत्तराधिकारी थे और सभी का उक्त भुमियो में वाला पिता पेमा के निहित 1/2 हिस्से में क्रमश 1/3, 1/3, एवं 1/3 हिस्सा था एवं उक्त नामान्तरकरण उपरोक्त तीनो वारीसान के नाम पर खोला जाना चाहिये था जो नहीं खोल कर अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने भारी विधिक भूल की है। यह कि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 01 अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूपेण बिना सभी विधिक वारीसान की जानकारी किये ही नामान्तरकरण तस्दीक कर फैसला किया है जिसकी अपीलान्ट्स कोई जानकारी नहीं रही हैं। हाल ही में जानकारी में आया है कि रेस्पोण्डेंट संख्या 02 से 05 उक्त वादग्रस्त कुलिया भूमिको विक्रय करने को आमादा है जिस पर अपीलान्ट्स ने राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाई जिससे ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से से रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम पर दर्ज है और अपीलान्ट्स का तो उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में नाम ही अंकित नहीं हैं। जो उक्त भूमि पूर्व में पक्षकारान के पारिवारिक मूल पुरूष वाला पिता पेमा जी के नाम दर्ज थी जिनके पिछे तीन पुत्र डुंगा, देवा व हिरा थे, लेकिन वाला के देहान्त के पश्चात् उनके नाम दर्ज भूमि के 1/2 हिस्से को अकेले देवा के नाम दर्ज कर दी गई, तथा देवा के बाद मोती सिंह व मोती सिंह के पश्चात् रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम दर्ज कर दी गई जो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होकर अवैध है तथा अपीलान्ट्स के मुकाबले शुन्य होकर निरस्त होने योग्य है। जिसके लिए यह अपील प्रस्तुत हैं।

अपीलान्ट्स को उक्त अवैध नामान्तरकरण की कभी कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही है। अभी हाल ही में रेस्पोण्डेंट संख्या 02 से लगायत 05 किन्हीं अनजान व्यक्तियो को इस वादग्रस्त भूमि पर लाये एवं उनसे भूमि को विक्रय करने की बातचीत करने लगे जिस पर अपीलान्ट्स ने मना किया तो रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 ने कहा इस भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा आधिपत्य अवश्य है लेकिन राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट्स का नाम अंकित नहीं है इसलिए वे अपने नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भुमि को अन्य को विक्रय कर देगें। जिस पर अपीलान्ट्स का नाम अंकित नहीं है इसलिए वे अपने नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भुमि को अन्य को विक्रय कर देगें। जिस पर अपीलान्ट्स ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उन्हें उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी हूई। अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का व राजस्व कार्यालय से उक्त वाला पिता पेमा के पश्चात्

विरासत से देवा पिता वाला के नाम जो नामान्तरकरण खोला गया उसकी नकल हेतु काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें नहीं मिली और पटवारी हल्का द्वारा यही कहा गया कि इस नामान्तरकरण की नकल उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद बिना नामान्तरकरण की नकल के लिए यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा मूल रूप से अपीलान्ट्स एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के परिवार के मूल पुरूष वाला पिता पेमा के नाम पर दर्ज था जिनके देहान्त के पश्चात् उनके तीनो पुत्र कमाशः डूंगा, देवा व हिरा के नाम उक्त हिस्सा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। डूंगा के पीछे नैन सिंह सिंह व नैन सिंह के पिछे अपीलान्ट्स संख्या 01 से 05 है और देवा के पीछे मोती सिंह, मोती सिंह के पिछे हरि सिंह व हरिसिंह के पीछे रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 04 हिरा जी के पीछे अपीलान्ट संख्या 06 है। लेकिन राजस्व अधिकारियो एवं रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से मिलीभगत करते हुऐ वाला पिता पेमा के नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भूमि रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से लगायत 05 के पूर्वाधिकार देवा पिता वाला के नाम अंकित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है और उक्त 1/2 हिस्सा भुमि में अपीलान्ट्स संख्या 01 से 05 के नाम 1/3, अपीलान्ट संख्या 06 के नाम 1/3 हिस्सा व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज किया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है, अपील से संबधित अन्य तथ्य वक्त बहस निवेदन किये जायेगें।

उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में अपीलान्ट् को कोई जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 किन्ही अनजान व्यक्तियो को इस वादग्रस्त भूमि पर लाये एवं उनसे भूमि को विक्रय करने की बातचीत करने लगे जिस पर अपीलान्ट्स ने मना किया तो रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 ने कहा इस भुमि पर अपीलान्ट् का कब्जा आधिपत्य अवश्य है लेकिन राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट्स का नाम अंकित नहीं है इसलिए वे अपने नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भूमि को अन्य को विक्रय कर देगें। जिस पर अपीलान्टस ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उन्हें उक्त अवैध नामान्तरकरण की नकले प्राप्त की तो उन्हे उक्त अवैध नामान्तरकरण की जानकारी हूई। इसके पश्चात् अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का व राजस्व कार्यालयो से उक्त वाला पिता पेमा के पश्चात् अपीलान्ट्स ने पटवारी हल्का व राजस्व कार्यालयो से उक्त वाला पिता पेमा के पश्चात् विरासत से देवा पिता वाला के नाम जो नामान्तरकरण खोला गय, उसकी नकल हेतु प्राप्ति हेतु काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें नहीं मिली और दिनांक 16.11.2023 को पटवारी हल्का द्वारा यही कहा गया कि इस नामान्तरकरण की नकल उपलब्ध नहीं है। इससे पश्चात् अपीलान्ट्स ने अधिवक्ता से मिलकर अपील अपील तैयार करवाई और आज बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है । इससे पूर्व जो भी कानूनी अडचनो के निवारण हेतु उक्त जानकारी के अभाव में कानूनी अडचनो के निवारण हेतु उक्त जानकारी के अभाव में हुआ है फिर भी कानूनी अडचनो के निवारण हेतु उक्त जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को कण्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाला पिता पेमा के पश्चात् विरासत से वाला पिता पेमा की बजाय रेस्पोण्डेंट संख्या 02 से 05 के पूर्वाधिकारी देवा पिता वाला के नाम भूमि दर्ज करने का जो नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया उसे अपास्त फरमाया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में पिता पेमा के नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है उसमें अपीलान्ट संख्या 01 से 05 के नाम 1/3 अपीलान्टस् संख्या 06 के नाम 1/3 हिस्से व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट संख्या 06 की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 की और से जरिये अधिवक्ता के जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की अपील प्राप्त हुई जिसका जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की कलम संख्या एक स्वीकार है, अपील की कलम संख्या दो में अपीलान्ट द्वारा पारिवारीक सजरा पेश किया हैं जिसमें अपीलान्ट के मूल पुरूष वाला पिता पेमा का नाम गलत बताया गया है जबकि अपीलान्ट के मूल पुरूष वाला पिता नन्दा जी थे जिसका 1/2 हिस्सा था प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी एवं नामान्तरण की नकल प्रस्तुत की जा रही है। अपील कलम संख्या तीन गलत वर्णित की गई। उक्त कलम में अपीलान्ट संख्या छह के दादाजी वाला पिता पेमा जी नहीं हो कर वाला पिता नन्दा जी थे जिरका 1/2 हिस्सा निहित था व 1/2 हिस्सा देवा पिता वाला जी का था। उसी के अनुसार नामान्तरण नियमानुसार खोला गया व उन्ही के वारीसान रेस्पो0 संख्या 2,3,4 को नाम दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा उक्त कलम में गलत तथ्य वर्णित किये जो स्वीकार नहीं है। यह कि अपीलान्ट की अपील की कलम संख्या चार गलत वर्णित की गई अपीलान्ट ने उक्त कलम में जो तथ्य वर्णित किये है वो गलत वर्णित किये गये रेस्पो संख्या 2,3,4 द्वारा कोई भी मिलीभगत नही की गई। उक्त नामान्तरण पूर्ण रूप से नियमानुसार अंकित किया है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य बताये गये, उक्त भूमि वाला के पिता व देवा पिता वाला जी रावत के नाम पर थी व उन्हीं के वारीसान के नाम उक्त भूमि का नियामानुसार नामान्तरण खोला गया हैं अपीलान्ट के द्वारा गलत तथ्य वर्णित कर उक्त अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार योग्य नहीं है। कलम संख्या पांच गलत वर्णित की गई। अपीलान्ट के मूल पुरूष अन्य थे तथा अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि नहीं थी तो उनको सूचना देने का कोई औचित्य ही नही है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य बताकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई जो सव्यय खारिज फरमाया जाने योग्य हैं, कलम संख्या छः गलत वर्णित की गई है। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य बताकर उक्त अपील गलत प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट द्वारा अपने मूल पुरूष में नाम वाला पिता पेमा जी बताया हैं जबकि उक्त भूमि वाला पिता नन्दा जी के नाम दर्ज थी। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित उक्त भूमि को अपने नाम पर गलत रूप से नामान्तरण खुलवाना चाहते हैं। जिनका 1/2 हिस्सा शुरू से ही निहित नहीं था। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य व गलत सजरा बता कर अपील प्रस्तुत की जो सव्यय खारिज फरमायी जावें। अपीलान्ट द्वारा सच्चाई को छुपाते

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

हुए उक्त नामान्तरण की नकले इसलिए प्रस्तुत नही की ताकि अपीलान्ट की सच्चाई का पता लग जावें। अपीलान्ट सच्चाई को छुपाते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की जो सव्यय खारिज की जावें। यह कि अपील कलम संख्या सात गलत वर्णित की गई है। उक्त कलम में पूर्व की बातों को ही दोहराया गया है। जिसका जवाब पूर्व कलम में प्रस्तुत किया जा चुका हैं अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं जो खारिज फरमाई जावें।

अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपीलान्ट द्वारा सच्चाई को छुपाते हुए गलत तथ्यों पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं जो अस्वीकार होकर सव्यय खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दोराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि उपरोक्तानुसार नामान्तकरण अपील को मेरिट के आधार पर एवं गुणावगुण में हिस्सानुसार अपीलान्ट उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में पिता पेमा के नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है, उसमें अपीलान्ट संख्या 01 से 05 के नाम 1/3 अपीलान्टस् संख्या 06 के नाम 1/3 हिस्से व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम मावा का गुडा, पटवार हल्का उमरवास तहसील गढ़बोर में स्थित अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 691 दिनांक 10.12.1976 को अपास्त किया जाता है। देवा पिता वाला के विधिक वारिसान की जांच की जाकर पक्षकारान को सुनकर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार, गढ़बोर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/04/2025

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द